

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/136/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/434

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यर्थी

श्री प्रतापसिंह,  
एडवोकेट,  
कोर्ट कैम्पस, बहरोड (अलवर)-301701

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 07.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 31.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व शिकायत प्रा0पत्र दिनांक: 20.08.22 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/अभिलेखीय प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 03.10.22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 2422 दिनांक: 18.10.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए (मय संलग्नक) प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 31.08.2022, प्रथम अपील दिनांक: 03.10.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन में वांछित सूचना के संबंध में इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पत्र सं. 2281 दिनांक: 29.09.22 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में ही विनिश्चय कर अपीलार्थी को प्रश्नगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
8. उक्त आलोक में प्रश्नगत अपील निर्बल है। प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)

